सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

2 BAISHAKH, 1944 (S)

No. 188

RANCHI, FRIDAY, 22nd APRIL, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
22nd APRIL, 2022

Notification No.- 2/2022 – State Tax(Rate)

S.O. No. 15, Dated 22nd April, 2022:- In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much state tax leviable thereon under section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

Table

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

Explanation. –

(i) For the purposes of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	**Condition**
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of April, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 2/2022- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 15, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 - झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर,ऐसे माल की अंत:राज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्तसारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है,पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5)की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्टसुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)कि धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है:

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	3%	1

स्पष्टीकरण -

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सिमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल कि पूर्ति में अनन्यरुप से प्रयुक्त मालया सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और (ख) माल कि पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पुर्तियो को भागत: प्रभावित करनेके लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल कि पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) कि धरा 17 कि उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागु होते ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2022 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/02/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 188-- 50